बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 254

डेटा संरक्षण की चिंता

सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की सार्वजनिक जांच और संसदीय परीक्षण तक कम करने के लिए अप्रत्याशित उपाय किए हैं। विधेयक के मसौदे को संसद में पेश करने के पहले भलीभांति वितरित नहीं किया गया और मसौदा प्रक्रिया के दौरान की गई टिप्पणियों तथा अन्य बातों को भी सार्वजनिक नहीं किया गया। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने अनुरोध किया कि विधेयक का परीक्षण संसद की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (जिसकी अध्यक्षता एक विपक्षी सदस्य के पास है) से कराने के बजाय इस उद्देश्य के लिए प्रवर समिति से कराई जाए। जांच की इस कमी के चलते ऐसी आशंका उत्पन्न हुई है कि शायद चिंता उत्पन्न करने वाली कई वजहें बरकरार रहें।

सकारात्मक पहलू देखें तो कंपनियों द्वारा डेटा के दुरुपयोग के खिलाफ अच्छा संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें विलोपन के अधिकार से संबंधित अधिकार के साथ-साथ सुधार के अधिकार का प्रावधान भी है जो लोगों को यह अनुरोध करने का अधिकार देता है कि वे आंकड़ों को मिटा सकें या उनमें बदलाव कर सकें। ऐसा तब किया जा सकेगा जब वह आंकड़ा जिस उद्देश्य से दिया गया था वह पूरा हो चुका हो और उसकी अब आवश्यकता नहीं रह गई हो। हालांकि सरकारी निगरानी और डेटा प्रबंधन के क्षेत्र में भारी भरकम रियायत के जरिये इसे नाकाम कर दिया गया। इसके अलावा भी कई परेशान करने वाले प्रावधान हैं। सोशल मीडिया मंचों से कहा जाएगा कि वे उपयोगकर्ताओं के प्रमाणन की एक स्वैच्छिक प्रक्रिया पेश करें। सरकार का दावा है कि वह ऐसा डेटा मांग सकती है जो व्यक्तिगत न हो। सन 2018 में न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति ने जो मसौदा तैयार किया था उसमें भी सरकार को डेटा प्रबंधन के क्षेत्र में कुछ रियायतें प्रदान की गई थीं। अब उनका और विस्तार कर दिया गया है। श्रीकृष्ण समिति ने सरकारी डेटा प्रसंस्करण के बारे में सुझाव दिया था कि इसे जरूरी और उचित अनुपात में होना चाहिए। अब यह प्रावधान हटा दिया गया है। बल्कि किसी भी सरकारी संस्था या विभाग को बिना सहमति के डेटा जुटाने का अधिकार देने का प्रावधान शामिल कर दिया गया है। यानी राज्य की निगरानी पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया।

प्रस्तावित डेटा संरक्षण प्राधिकरण (डीपीए) को कमजोर कर दिया गया क्योंकि सभी सदस्य सरकार के होंगे। यह श्रीकृष्ण समिति के सुझाव के उलट है जिसने कहा था कि इसमें कार्यपालिका, न्यायिक और बाहरी उपक्रमों के साथ लोगों को भी शामिल करना चाहिए।

मसौदे में डीपीए के गठन के लिए कोई मियाद तय नहीं की गई है। यदि सोशल मीडिया मंचों को 'स्वैच्छिक' प्रमाणन की प्रक्रिया बताने पर मजबूर किया गया तो इससे अभिव्यक्ति की आजादी को नुकसान होगा और उनकी निजता को नुकसान होगा जो प्रमाणन करवाएंगे। यदि कोई व्यक्ति यह 'स्वैच्छिक' प्रमाणन नहीं कराता तो सरकारी एजेंसियां उसे निशाना बना सकती हैं। इससे प्रोफाइलिंग और डेटा उल्लंघन का खतरा भी बढ़ेगा। जो डेटा व्यक्तिगत नहीं है उसे सरकार को देने के प्रावधान का भी दुरुपयोग हो सकता है। गैर व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा बहुत व्यापक है। यहां तक कि ई-कॉमर्स बिक्री रुझान से भी जाति, धर्म, चिकित्सकीय स्थिति, यौनिकता, पठन की आदत जैसी निजी जानकारी जुटाई जा सकती है। सरकार की पहुंच और निर्बाध निगरानी क्षमता के चलते गैर व्यक्तिगत और व्यक्तिगत डेटा को मिलाया जा सकता है। उस आंकड़े से मतदाताओं को प्रभावित करने या धमकाने का काम किया जा सकता है। यह दुखद है कि देश का पहला निजता कानून इतनी कमियों वाला है। यह भी विडंबना ही है कि इसे न्यूनतम पारदर्शिता के बिना पारित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे गड़बड़ीयुक्त कानून बन सकता है। यदि विपक्ष बहस और संशोधन पर जोर नहीं देता तो ऐसा कानून बन सकता है जो आम जन का बचाव नहीं कर पाएगा।

अजय मोहंती

ढांचागत क्षेत्र में तरलता प्रवाह हो निर्बाध

आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए ढांचागत क्षेत्र काफी अहम है। मध्यस्थता पंचाटों के भुगतान संबंधी फैसलों पर प्रक्रियागत सुधार करने जरूरी हैं। बता रहे हैं **विनायक चटर्जी**

अक्सर ऐसा होता है कि मीडिया में उन खबरों को अधिक प्रमुखता नहीं दी जाती है जिनमें अनुकूल दीर्घकालिक प्रभाव डालने की क्षमता होती है। गत 20 नवंबर को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने ऐसे तरीके पर मुहर लगाई जो ढांचागत क्षेत्र के लिए कुछ राहत लेकर आएगा। यह एक ऐसा कदम है जिस पर इस क्षेत्र के बाहर शायद ही ध्यान दिया गया है।

सीसीईए ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) जैसी सरकारी इकाइयों के लिए मध्यस्थता विवादों में फंसी राशि का 75 फीसदी तक हिस्सा फौरन जारी करने की प्रक्रिया आसान बना दी है। इससे निजी क्षेत्र के साथ विवादों के चलते फंसी रकम में से 75 फीसदी तक राशि निकालने का रास्ता आसान हो जाएगा। खास बात यह है कि यह सुविधा उस स्थिति में भी मिलेगी जब मध्यस्थता अधिकरण के फैसलों के खिलाफ सरकारी इकाइयों ने अपील कर रखी हो। भले ही नीति आयोग ने वर्ष 2016 में इस संदर्भ में निर्देश जारी किए थे लेकिन इस पर ठीक से अमल नहीं किया गया था। संबंधित सरकारी संस्थानों की तरफ से इस 75 फीसदी राशि मुक्त करने के पहले संभावित ब्याज को भी कवर करने के लिए बैंक गारंटी की मांग बड़ा अवरोध होती थी। सीसीईए के हालिया फैसले में सरकारी संस्थानों को कहा गया है कि वे विवादित रकम के कम-से-कम ब्याज वाले हिस्से के लिए गारंटी की मांग न रखें। निजी क्षेत्र में तरलता की भारी किल्लत होने से ऐसी गारंटी को भुना पाना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में तरलता बनाए रखने के लिए अधिक तरलता की जरूरत है।

यह उम्मीद की गई है कि भविष्य में प्रक्रिया को सरल बनाकर ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि बैंक गारंटी की जरूरत ही न रह जाए। इन दिनों ढांचागत क्षेत्र की कंपनियों को बैंक गारंटी मिलने में पेश आने वाली चुनौतियों को देखते हुए यह बेहद जरूरी है। बैंकों को गारंटी देने के लिए प्रोत्साहित करने और सरकारी इकाइयों के लिए बकाये के निपटारे के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सरकार से बैंकों को एक अलग बायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट देने पर विचार करने का अनुरोध किया था जिसका इस्तेमाल सरकारी एजेंसियां मध्यस्थता निर्णयों के तहत वेंडरों का भुगतान करने के लिए कर सकती हैं। उस रकम का इस्तेमाल बैंकों को कर्ज लौटाने में किया जा सकता है।

सीसीईए का यह निर्णय अब नीति आयोग के महज एक निर्देश से अलग हटकर केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला होने जा रहा है जिसे सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। यह इस बात को स्वीकार करता है कि उत्पादों एवं सेवाओं की सबसे बड़ी खरीदार होने के नाते खुद सरकार ही तरलता संकट खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाती है। भुगतान में देरी से अक्सर दूरगामी प्रभावों का सिलसिला शुरू हो जाता है जिसका नतीजा निजी फर्मों के दिवालिया होने के रूप में सामने आता है क्योंकि ये फर्में काफी हद तक सरकारी ठेकों पर ही निर्भर होती हैं। अनुमानित तौर पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों पर बकाया है। मध्यस्थता विवादों में जीत के बाद वेंडरों एवं आपूर्तिकर्ताओं को यह रकम दी जानी है। इतना ही अहम यह है कि सीसीईए की बैठक में यह भी कहा गया कि सरकारी इकाइयों को मध्यस्थता अधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ अपील करने के पहले सरकार के कानूनी अधिकारी (मसलन, अटॉर्नी जनरल या सोलिसिटर जनरल) की राय लेनी चाहिए। यह हारे हुए मामले को अदालत में ले जाने की सरकारी इकाई की यंत्रवत प्रतिक्रिया को सीधे तौर पर कम करेगा। उम्मीद है कि इस एक कदम से ही अदालतों में दाखिल की जाने वाली अपीलों में भारी कमी आएगी।

प्रसंगवश, मध्यस्थता अधिनियम समस्या की गंभीरता को मान्यता देता है। वर्ष 2015 में इस कानून में किए गए बदलाव मध्यस्थता निर्णयों को दी जाने वाली चुनौती में कमी लाने और ऐसे निर्णयों के तहत भुगतान की प्रक्रिया तेज करने के लिए लाए गए थे। हालांकि इस साल के शुरू में किए गए संशोधनों ने इस सुधार को 2015 के बाद के विवादों के लिए ही प्रभावी कर दिया। इन हालिया संशोधनों को उच्चतम न्यायालय ने गत 27 नवंबर को निरस्त कर दिया है जो ढांचागत क्षेत्र के लिए एक और राहत की बात है। मध्यस्थता पंचाटों के फैसले आना कहानी का एक हिस्सा है। नकद-प्रवाह की समस्या का दायरा आम तौर पर सरकार से समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने से जुड़ा है, यहां तक कि सामान्य बिलों के मामले में भी। ढांचागत क्षेत्र के तमाम विश्लेषक इसकी तसदीक करेंगे कि हरेक गुजरते महीने में निजी क्षेत्र की बैलेंस शीट पर बकाया भुगतान के दिनों की संख्या चिंताजनक दर से बढ़ती दिख रही है। इसका बड़ा कारण भुगतान को समय पर जारी करने की जवाबदेही का पूर्ण अभाव है। लिहाजा एक रसीद तैयार होने के साथ ही वह अफसरशाही की भूलभूलैया में एक से दूसरी मेज तक घूमती रहती है और कई महीनों तक पीछा करने के बाद वह रकम बैंक खाते में जमा हो पाती है। कारोबार से सरकार (बी-टू-जी) संपर्क की ऐसी व्यवस्था में तत्काल बदलाव लाने की जरूरत है।

सीआईआई ने सभी तरह की सरकारी खरीद इकाइयों के लिए बकाया भुगतान का एक पोर्टल बनाने का सुझाव कई बार दिया है। इस तरह के मोटे आंकड़े जीएसटी ढांचे में हरेक रसीद का विवरण दर्ज होने से पहले से ही उपलब्ध हैं। एक साधारण की प्रोग्रामिंग कर किसी एक निकाय के नाम पर जारी सभी रसीदों को एक साथ देखा जा सकता है। इससे उन रसीदों की भी शिनाख्त हो सकेगी जिन पर भुगतान बाकी है। अगर यह फौरन लागू होता है तो राजनीतिक आका भी समस्या की भयावहता देखकर हिल सकते हैं।

सरकार ने इसके बाद यह घोषणा की है कि केंद्र सरकार के विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों से भुगतान में देरी पर व्यय सचिव की तरफ से निगरानी रखी जाएगी और कैबिनेट सचिवालय के स्तर पर उसकी समीक्षा होगी। ऐसे सवाल उठाए गए हैं कि वाणिज्यिक बैंकों एवं एनबीएफसी के नदारद होने पर दीर्घावधि तरलता को ढांचागत क्षेत्र के लिए समर्पित विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) के जरिये भेजा जाना चाहिए। ऐसे खुरदुरे उपाय सरकार एवं निजी क्षेत्र के बीच फंड के प्रवाह की बाधाएं दूर कर देते हैं। सरकार को इसे अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी राहत पैकेज में शामिल करना चाहिए।

(लेखक सलाहकार फर्म फीडबैक इन्फ्रा के चेयरमैन हैं)

घातक बीमारियों से निजात दिलाएगा एडीज का जीवाणु से संक्रमण

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों से जंग का एक रोचक तरीका यह है कि मच्छरों को परजीवी से संक्रमित करा दिया जाए। एडीज एजिप्टी प्रजाति के मच्छर में ऐसे विषाणु होते हैं जो डेंगू, जिका, पीत ज्वर और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के कारक बनते हैं। इस प्रजाति के मादा मच्छर जब इंसानों को काटते हैं और उनके रक्त में अपने विषाणु छोड़ देते हैं। ये विषाणु मच्छर की कोशिकाओं के भीतर पनपते रहते हैं। जब विषाणु-संक्रमित मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो फिर इन बीमारियों के विषाणु भी पहुंचा देता है।

डेंगू से हर साल 5-10 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं जबकि लातिन अमेरिका में जिका महामारी का नवजात शिशुओं पर भयावह असर रहा है। ब्राजील एवं अफ्रीकी देशों में पीत ज्वर का प्रकोप है और चिकनगुनिया ने कई महाद्वीपों में महामारी फैलाई है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि वोल्बाचिया नाम का एक जीवाणु इन मच्छरों में विषाणु संक्रमण कर सकता है। यह जीवाणु एक परजीवी है जो कई रूपों में आता है। कीटों की करीब 60 फीसदी प्रजातियों में यह स्वाभाविक तौर पर मौजूद होता है। कुछ कृमि प्रजाति नेमाटोड्स में भी वोल्बाचिया पाया जाता है। लेकिन एडीज मच्छर इस परजीवी का सामान्य वाहक नहीं है।

यह जीवाणु दो तरह से विषाणु संक्रमण को फैलाता है। इससे मच्छर से प्रतिरोधकता देने वाली प्रणाली मजबूत होती है जिसकी वजह से विषाणु इसे संक्रमित नहीं कर पाता है। यह कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रमुख अणुओं के लिए विषाणुओं से प्रतिस्पर्द्धा भी करता है। विषाणुओं को अपना वजूद बनाए रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है और वोल्बाचिया कोलेस्ट्रॉल के सेवन में काफी कारगर है। लिहाजा यह मच्छर को संक्रमित कर पाने वाले किसी भी विषाणु को पोषण से वंचित कर देता है।

नेमाटोड्स में मौजूद वोल्बाचिया के कुछ रूप खतरनाक होते हैं। वे सूजन पैदा कर सकते हैं जो आगे चलकर फाइलेरिया जैसी बीमारी में भी तब्दील हो सकता है। लेकिन मच्छर-विरोधी प्रयोगों में लगे शोधकर्ताओं ने वोल्बाचिया के जिस रूप का इस्तेमाल किया है वह इंसानों एवं बड़े जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस वजह से इस जीवाणु को मच्छर में संक्रमित कराना सुरक्षित एवं पर्यावरण के लिहाज से संपोषणीय है। मेलबर्न एवं ग्लासगो स्थित विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं और मलेशिया के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ने विश्व मच्छर कार्यक्रम (डब्ल्यूएमपी) के साथ मिलकर एडीज मच्छरों में वोल्बाचिया को पहुंचाने के प्रयोग किए हैं। वर्ष 2011 में मेलबर्न की मोनाश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्कॉट ओनील की अगुआई में शोधकर्ताओं ने एडीज मच्छरों के अंडों में वोल्बाचिया को इंजेक्ट करना शुरू किया था।

उन्होंने प्राकृतिक तौर पर फल मक्षिकाओं (फ्रूट फ्लाई) में मौजूद जीवाणु से वोल्बाचिया को लिया था। एडीज के अंडों को सेने के बाद वोल्बाचिया-संक्रमित एडीज को क्वींसलैंड के कुछ इलाकों में जंगली एडीज मच्छरों के साथ निषेचन के लिए छोड़ दिया गया। समय बीतने पर यह पता चला कि परीक्षण के लिए चुने गए इलाकों में एडीज-जनित बीमारियों के मामले नगण्य थे जबकि बाकी इलाकों में उनकी संख्या यथावत थी।

वोल्बाचिया-संक्रमित नर मच्छर का एक असंक्रमित मादा मच्छर से मिलन होने पर निकले अंडे निर्जीव थे। लेकिन वोल्बाचिया-संक्रमित मादा मच्छर असंक्रमित नरों के साथ मिलकर अंडे दे सकती है जिससे निकलने वाले नवजात मच्छर में वोल्बाचिया मौजूद होंगे। ये जीवाणु-वाहक मच्छर आने वाली कई पीढ़ियों में इसे फैलाते जाएंगे। इसका नतीजा यह होगा कि एक समय बाद महामारी फैलाने वाली विषाणु-जनित बीमारियों के संक्रमण की दर नीचे आ जाएगी।

यह तरीका लंबी अवधि में अधिक कारगर साबित हो सकता है और इससे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर भी कोई प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना नहीं है। यह लागत के लिहाज से भी किफायती होगा क्योंकि जीवाणु पीढ़ी-दर-पीढ़ी खुद ही अपना प्रसार करता जाता है।

शोधकर्ताओं का दावा है कि इस जीवाणु-संक्रमण के बाद नॉर्दर्न क्वींसलैंड इलाके में एडीज-जनित बीमारियां लगभग नदारद हो चुकी हैं। डब्ल्यूएमपी ने 12 देशों में परियोजनाएं चलाई हैं जिनमें 40 लाख आबादी वाले इलाकों में परीक्षण चल रहे हैं। शुरुआती अध्ययनों में वोल्बाचिया का एक रूप डब्ल्यूमेल शामिल था। लेकिन डब्ल्यूमेल के साथ मुश्किल यह है कि यह अधिक तापमान सहन नहीं कर सकता है। दूसरे शोध दल ने यह पाया कि वोल्बाचिया की एक दूसरी किस्म उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भी बेहतर परिणाम दे सकती है। इस दल के अगुआ स्टीवन सिन्किंस हैं जो ग्लासगो यूनिवर्सिटी में जैवविज्ञानी हैं। सिन्किंस ने कुआलालंपुर के छह चुनिंदा इलाकों में डब्ल्यूएल्बबी नामक जीवाणु-प्रजाति का इस्तेमाल किया जो अधिक तापमान में भी मच्छरों को संक्रमित कर सकता है। 'करंट बायोलॉजी' में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक, डब्ल्यूएल्बबी किस्म वाला जीवाणु 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में भी सक्रिय रह सकता है।

डब्ल्यूएमपी का दावा है कि वोल्बाचिया जीवाणु के इस्तेमाल को लेकर तीन स्वतंत्र जोखिम आकलन किए गए हैं। इनमें नाममात्र का जोखिम पाया गया यानी वोल्बाचिया जीवाणु इंसानों, जानवरों एवं पर्यावरण तीनों के लिए सुरक्षित है।

एडीज मच्छरों पर काबू पाने के दूसरे जैविक तरीकों में अधिक जोखिम हैं। बड़ी आबादी वाले इलाके में आनुवांशिक रूप से संवर्द्धित मच्छरों का इस्तेमाल कर उन्हें प्रजनन से रोकने में बहुत लंबा वक्त लगता है। मच्छर की एक स्थानीय आबादी को पूरी तरह खत्म कर देने के नकारात्मक पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। आखिर कीट-पतंगे भी खाद्य श्रृंखला का एक अहम हिस्सा हैं। ऐसे में डब्ल्यूएमपी को वोल्बाचिया जीवाणु को लेकर अपने प्रयोगों का दायरा बढ़ाने की जरूरत है।

कानाफूसी

अध्यक्ष पद की लड़ाई

क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अचानक सक्रियता का राज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में छिपा है ? चौहान ने हाल ही में प्रदेश में व्याप्त यूरिया संकट के खिलाफ कुछ किसानों के साथ गिरफ्तारी दी। इसके बाद वह एक बलात्कार पीड़ित के मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए धरने पर बैठे। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा करके वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष यह जताने का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पार्टी को एक तेज तर्रार अध्यक्ष की आवश्यकता है। मौजूदा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह उतने सक्रिय नजर नहीं आते हैं। फिलहाल तो प्रदेश भाजपा दो धड़ों में बंटी नजर आती है। एक धड़ा शिवराज सिंह चौहान को पसंद करता है तो दूसरा राकेश सिंह के साथ है।

कम हो वजन

संसद में मंगलवार को संसद सदस्यों के लिए एक व्याख्यान का आयोजन किया गया जो वजन कम करने और मधुमेह से संबंधित था। सांसदों को जारी एक परामर्श में कहा गया कि यह आयोजन फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया। इस मौके पर डॉ. जेवी दीक्षित ने सांसदों को संबोधित किया और बिना किसी खास प्रयास के वजन कम करने के तरीकों और उपचार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मोटापे, मधुमेह, रक्त अल्पता और माइग्रेन के बारे में भी बताया। व्याख्यान में शामिल भाजपा के सीआर पाटिल तथा कुछ सदस्यों ने कहा कि एक दिन में दो बार भोजन करने की दीक्षित की सलाह से उन्हें फायदा हुआ है। दीक्षित का डाइट प्लान महाराष्ट्र में काफी लोकप्रिय है लेकिन विशेषज्ञ इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है। गत वर्ष इस आयोजन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने कहा था कि महाराष्ट्र में होने वाली शादियों में रात्रिभोज में उन लोगों के लिए भी समय निर्धारित होता है जो दीक्षित की योजना के अनुसार भोजन करते हैं।

आपका पक्ष

विधेयक बेहतर तो विरोध क्यों

देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा पेश नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है। देश के कई हिस्सों में इस विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने उनको भरोसे में लिए बगैर लोकसभा से विधेयक पारित करा दिया है। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि सत्तारूढ़ भाजपा इस विधेयक के माध्यम से हिंदू वोट बैंक को सुनिश्चित करना चाहती है। विपक्षी पार्टियां भी धर्म के आधार पर नागरिकता देने को लेकर विरोध कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के संघीय आयोग का कहना है कि यह विधेयक गलत दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। देश में विधेयक को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी धर्मों को एकसमान अधिकार देता है। लेकिन विधेयक में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगनिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थी को नागरिकता देने की व्यवस्था रखी गई है जो विवाद का कारण है। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 के मुताबिक कानून के आगे सभी को बराबरी का अधिकार प्राप्त है जबकि अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य अपने किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है जिस वजह से यह विधेयक की प्रमाणिकता को लेकर लोगों के मन में कई सवाल पैदा कर रहा है। मंत्रिमंडल के मंत्री शपथ समारोह में भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। इसलिए सरकार को विधेयक में मौजूद कमियों को दूर करना चाहिए। इसके अलावा आज देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी आदि समस्याएं हैं जिसे प्राथमिकता देकर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक राज्य सभा में पेश किया गया *-पीटीआई*

अनेकता में एकता पर सवाल

नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद क्या भारत की अनेकता में एकता पर सवाल नहीं उठेगा। इस सवाल का जवाब खोजना मुश्किल नहीं है। बस जिन लोगों पर इसका असर पड़ेगा उनकी जगह पर स्वयं को रख कर देखना होगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद यह कानून का रूप लेगा तब भारत में जो परिवर्तन होगा उसे तो हम समझ जाएंगे लेकिन भारत के बाहर अर्थात बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा इसे भी समझना जरूरी होगा। इस विधेयक को अपनाने के साथ कहीं हम जिन्ना की 'टू नेशन थ्योरी' को तो नहीं अपना रहे हैं। इस पर भी विचार करना जरूरी है क्योंकि इसका परिणाम अंत में आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद एक बहुत बड़ी आबादी की अदला-बदली होगी। उम्मीद है कि यह सब सोच कर ही सरकार ने इस विधेयक को लाने का फैसला किया होगा।

भूपेंद्र सिंह रंगा, पानीपत

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।